बउनवान ..... बनाम .....

धारा ..... मुकदमा नं. ..... ऑनलाईन नं. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
26/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकीन अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। जिसमें अप्रार्थीगण ने श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा का निर्णय दिनांक 21.09.2004 का हवाला देते हुए निवेदन किया कि रामकुंवार बिरधा लाल का पुत्र नहीं है, बल्कि जमनादास का पुत्र है। गोपाली बाई बिरधा की पत्नि नहीं है वो चमनादास की पत्नि है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन के उपरान्त यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार होने से दिनांक 15.05.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखा जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होना प्रतीत होता है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः दिनांक 15.05.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जांकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.6.25 सरे इजलास सुनाया गया।	